राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1149/2025

सुशीला मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. शासन सचिव, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण, राजस्थान जयपुर।
2. निदेशक, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण, राजस्थान जयपुर।
3. निदेशक, निदेशालय चिकित्सा एवं परिवार कल्याण सेवाएं, जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), पंचायत राज (चिकित्सा विभाग) जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 21.01.2025
आदेश की दिनांक : 17.02.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अराधना स्वामी, अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क किया कि अपीलार्थी वर्तमान में ए.एन.एम. के पद पर उप स्वास्थ्य केन्द्र तालखसर फतेहपुर, जिला सीकर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण उप स्वास्थ्य केन्द्र तालखसर फतेहपुर, जिला सीकर से पी.एच.सी., सोनेला ब्लॉक, रेवदर, जिला सिरोही में द्रोपति मेघवाल के स्थान पर 450 कि.मी. दूर किया गया।
3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि अपीलार्थी के ससुर का देहान्त हो चुका है एवं अपीलार्थी की सास, जो कि मानसिक बीमारी से ग्रसित है। अपीलार्थी के दो छोटे बच्चे है, जो 14 एवं 11 वर्ष के है। जिनकी समस्त जिम्मेदारी अपीलार्थी पर ही निर्भर करती है, क्योंकि अपीलार्थी के पति भी राज्य सेवा में तकनीकी सहायक–I के पद पर रामगढ़ शेखावाटी में कार्यरत है (अनुलग्नक–2)। राजस्थान स्थानान्तरण नीतियों के अन्तर्गत यदि पति–पत्नी राज्य सेवा में कार्यरत हो तो उनकों आस–पास या एक ही जिले में पदस्थापित

रखने का प्रावधान है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे।

4. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

5. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों पर अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

6. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें। यहां पर यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिये नहीं दिये जा रहे हैं, वरन् मात्र इस आशय से दिये जा रहे हैं कि अभ्यावेदन को निर्धारित अवधि में नियमानुसार निस्तारित किया जावे।

7. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य